International Journal of Applied Research 2019; 5(1): 348-349

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2019; 5(1): 348-349
www.allresearchjournal.com
Received: 21-11-2018
Accepted: 23-12-2018

Dr. Deepti Kumari
Sanskrit Teacher, Directorate of Education, Delhi, India

Dr. Jyoti
Assistant Professor, Department of Sanskrit, Shyama Prasad Mukherji College for Women, University of Delhi, Delhi, India

Dr. Asheesh Kumar
Assistant Professor, Department of Sanskrit, Rajdhani College, University of Delhi, Delhi, India

Corresponding Author:
Dr. Asheesh Kumar
Assistant Professor, Department of Sanskrit, Rajdhani College, University of Delhi, Delhi, India

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मीमांसा सिद्धांत के प्रयोग की महत्ता

Dr. Deepti Kumari, Dr. Jyoti and Dr. Asheesh Kumar

सारांश
प्रस्तुत लेख में यह दर्शाया गया है कि मीमांसा सिद्धांतों के प्रयोग न्यायालय में आधुनिक न्यायाधीशों के द्वारा किस प्रकार किए गए हैं। प्रस्तुत लेख में आधुनिक न्यायालयों के निर्णयों में मीमांसा शास्त्र के नियमों का उपयोग न्यायाधीशों द्वारा किया गया है। यह लेख निश्चित रूप से आधुनिक विधि एवं प्राचीन संस्कृत धर्मशास्त्रों के मध्य एक सशक्त संवाद स्थापित करने का प्रयास है।

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मीमांसा सिद्धांतों के प्रयोग की महत्ता इसी बात से सिद्ध है कि कानून में आज भी अनेक मुकदमों को हल करने में मीमांसा के सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है।
निम्नलिखित मुकदमें ऐसे ही हैं जहाँ मीमांसा सिद्धांतों का प्रयोग करके मुकदमा हल किया गया है

1. "Sardar Mohd. Ansar V. State of U.P." (1995 Lab IC 1217 (all)
प्रकरण – उत्तर प्रदेश में इन्टरमीडिएट विश्वविद्यालय में दो लिपिक एक दिन ही नियुक्त हुए हैं तो उन दोनों में वरीयता किसकी होगी? जो भी वरिष्ठ होगा वह ही वरिष्ठ लिपिक के लिए नियुक्त होगा।
इस प्रकरण पर कानून मौन था। उत्तर प्रदेश इन्टरमीडियेट शिक्षा अधिनियम या उसके अधीन निर्मित नियमों में इस विषय पर कुछ भी नहीं कहा गया था। वहीं, अध्याय 2, नियम 3 में विधान है कि यदि दो अध्यापकों की नियुक्ति समान दिन हुई है तो जो उम्र में वरिष्ठ होगा वही वरिष्ठ माना जाएगा। उपरोक्त मुदकमें में न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू ने मीमांसा के 'अतिदेश सिद्धांत' का प्रयोग किया तथा यह निर्णय लिया कि जो नियम दो अध्यापकों के विषय में लागू होता है, वही दो लिपिकों के विषय में भी होना चाहिए तथा इस प्रकार जो उम्र में बड़ा होगा वह ही वरिष्ठ माना जाएगा। [1]

2. Udai Shankar Singh v- Branch Manager] [LIC] Writ Petition No. 3807 of 1993] decided on 9-4-1988] reported in 1998 (2) All CJ 1364.
प्रकरण – एक व्यक्ति स्कूटर से जा रहा था ट्रक से उसकी टक्कर हो गयी। जिससे उसका दायां पैर काटना पड़ा तथा उसके दाएं हाथ को पूरी तरह से लकवा मार गया। उसने जीवन बीमा निगम से क्षतिपूर्ति की मांग की।

LIC Policy में यह प्रावधान था कि धनराशि की मांग तभी की जा सकती है जब या तो बीमाधारक की मृत्यु हो जाए अथवा वह पूर्णरूप से विकलांग हो जाए।

LIC Policy में उल्लिखित हैं कि पूर्णरूपेण विकलांगता तब होगी जब–
1. दोनों नेत्र खो जाए
2. दोनों पैर कट जाए
3. दोनों हाथ कट जाए
4. एक हाथ तथा एक पैर कट जाए

अतः जीवन बीमा निगम ने इसके उपवाक्य (4) के आधार पर क्षतिपूर्ति की मांग को निरस्त कर दिया तथा कारण यह दिया कि उस व्यक्ति का केवल एक पैर कटा है तथा एक हाथ को लकवा मारा है, वह कटा नहीं है।

[1] I used the atidesh principle of Mimamsa, und held that the same principle which applies for the teachers should also be applied to clerk, and hence the senior in age would be senior. (M. Kutju, Mimamsa Rules of Interpretation, Modern Law Publications, New Delhi. Allahabad)

यदि इस प्रकरण में केवल श्रुत्यर्थ ग्रहण किया जाए तो जीवन बीमा निगम का तर्क सही जान पड़ता है।
किन्तु न्यायमूर्ति काट्जू ने उपरोक्त प्रकरण में अभिधेयार्थ ग्रहण न करते हुए लिंग अथवा लक्षणा सिद्धांत का प्रयोग किया। [2] न्यायमूर्ति काट्जू का मत था कि हाथ का लकवा मारना उतना ही कष्टदायक है जितना कि हाथ का कटना क्योंकि दोनों ही स्थितियों में हाथ का प्रयोग नहीं हो सकता।
न्यायमर्ति काटजू कहते हैं कि शब्द के पीछे का 'भाव' समझना अत्यन्त आवश्यक है। व्याख्या के आधुनिक सिद्धांतों में भी लार्ड डेनिंग ने अपनी पुस्तक 'The Discipline of Law' में कानून के भाव को अधिक महत्त्वपूर्ण माना है न कि शब्द को।

3. Mahabir Prasad Dwivedi v. State of U.P. (Writ Petition No. 6318 of 1992, decided on 27-7-1992 (AIR 1992 All 351)

प्रकरण – उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र, अधिनियम, धारा–न के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि जिला दण्डाधिकारी शहरी क्षेत्र के अध्यक्ष को उसके पद से अनाचार करने के कारण हटा सकता है।
धारा 7–ए के तहत 2 प्रावधान हैं –
1. अध्यक्ष को हटाने से पूर्व जिला दण्डाधिकारी को उसे (अध्यक्ष) सफाई का अवसर देना पड़ेगा।
2. अध्यक्ष को पद से हटाने का निर्णय तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कि राज्य सरकार उसका अनुमोदन न कर दे।
समस्या यहाँ यह उत्पन्न होती है कि क्या राज्य सरकार को भी अध्यक्ष को सफाई का अवसर देना चाहिए।
उपर्युक्त समस्या के समाधान में न्यायाधीश अनुषङ्ग के सिद्धान्त का प्रयोग करते हैं जिसके अनुसार राज्य सरकार को भी सफाई का अवसर देने का प्रावधान निश्चित करते हैं। [3]
टेलीफोन सेवाओं के सभी भुगतानों को अतिरिक्त शुल्क सहित भुगतान नहीं किया गया तो टेलीफोन विभाग द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के भुगतानकर्ता अथवा ग्राहक के कनेक्शन काट दिए जायेंगे तथा भुगतानकर्ता के सभी भुगतानों को अतिरिक्त शुल्क सहित जमा करने के बाद ही उसका कनेक्शन पुनः जोड़ा जा सकेगा। इसके साथ ही भारतीय तार नियम 1951; नियम 443 के तहत नियम 2 (PP) में भुगतानकर्ता (subscriber) की परिभाषा को बताया है कि – "उपभोक्ता (भुगतानकर्ता) से अभिप्राय है वह व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन तार यन्त्र आदि लगाकर टेलीफोन की सुविधा प्रदान की गई है।"
भुगतानकर्ता की उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार अपीलकर्ता की पत्नी के टेलीफोन का भुगतान नहीं करने पर अपीलकर्ता का टेलीफोन नहीं काटा जाना चाहिए क्योंकि उपभोक्ता उसकी पत्नी है वह नहीं।

उत्तर पक्ष – उपर्युक्त मुकदमें में मीमांसाशास्त्र के कई नियमों को लागू कर यह निर्णय लिया गया कि दो सम्बन्धी जो एक ही घर में रहते हैं, उनमें से वह व्यक्ति जो आर्थिक रूप से स्वतन्त्र है ऐसे में पहले व्यक्ति (जो आर्थिक रूप से निर्भर व्यक्ति) का उपभोक्ता होते हुए भी टेलीफोन कनेक्शन नहीं काटा जाएगा तथा वह उपभोक्ता जिस व्यक्ति पर निर्भर है (टेलीफोन सेवाओं के भुगतान न होने पर) उसका टेलीफोन कनेक्शन काट दिया जाएगा। अतः प्रस्तुत मुकदमें में भी अपीलकर्ता का ही कनेक्शन काटा जाएगा।

[2] I allowed the petition holding that here that here the literal rule has not be followed, and instead the linga or lakshana principle has to be followed. (M Kutju, Mimamsa rules of Principle, Modern law Publications, New Delhi. Allahabad)

[3] However, using the anushanga principle I held that the State Government must also give opportunity of hearing. The anushanga principle (or elliptical extension) states that an expression occurring in one clause is often also meant for a neighbouring clause, and it is not mentioned in the latter (M. Katju, Mimamsa Rules of Interpretation)

प्रस्तुत मुकदमें में भी उद्देश्य है टेलीफोन बिल का भुगतान। अतः अपीलकर्ता द्वारा (आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होने के कारण) ही टेलीफोन बिल का भुगतान किया जाना चाहिए।
इस प्रकार मीमांसाशास्त्र के सिद्धान्तों की सहायता से प्रस्तुत मुकदमें में निर्णय सम्भव हो सका।

(5) U.P. Bhoodan Yogna Samiti v. Brij Kishore (AIR 1988 SC 2239)

प्रकरण – यू.पी. भूदान एक्ट के तहत उन व्यक्तियों को जिनके पास भूमि नहीं है उनको आर्थिक सहायता देने हेतु कुछ भूमि दान में देने का निर्णय यू.पी. भूदान योजना समिति द्वारा किया गया।

पूर्वपक्ष – उपर्युक्त नियम के तहत वे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से प्रबल (धनी) होने के कारण किन्तु अपने पास भूमि न होने के कारण 'भूमिहीन व्यक्ति' के अन्तर्गत समाहित थे तो क्या ऐसे व्यक्ति भी उपर्युक्त एक्ट के तहत भूमि प्राप्त करने से अधिकारी हैं?

उत्तरपक्ष – उपर्युक्त मुकदमें में भी न्यायाधीश मीमांसाशास्त्र के 'लिङ्ग' सिद्धान्त को उद्धृत करते हुए निर्णय करते हैं कि यद्यपि भूदान एक्ट के तहत 'भूमिहीन व्यक्ति' को भूमि देने का प्रावधान है किन्तु यहाँ 'भूमिहीन व्यक्ति' का तात्पर्य भूमिहीन किसान है न कि भूमिहीन व्यापारीवर्ग। अतः न्यायाधीश द्वारा वाक्य के अभिधेयार्थ को ग्रहण नहीं किया गया है क्योंकि अभिधेयार्थ ग्रहण करने पर वह धनवान् व्यापारी भी जिसके पास अपनी भूमि नहीं है वह भी 'भूमिहीन व्यक्ति' की श्रेणी में आ जाएगा एवं इस प्रकार यू.पी. भूदान एक्ट के तहत उस धनवान व्यापारी को भी भूमि देनी पड़ेगी। इस प्रकार यू.पी. भूदान एक्ट का लक्ष्य (भूमिहीन किसानों की आर्थिक सहायता) ही खण्डित हो जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. उपाध्याय, गंगाप्रसादः मीमांसा प्रदीप, (जैमिनी कृत 'पूर्व–मीमांसा' ग्रन्थ का आलोचनात्मक अध्ययन), प्रकाशक – ट्रेक्ट विभाग, आर्य समाज चौक, इलाहाबाद, 1961
2. उपाध्याय, वाचस्पतिः मीमांसा दर्शन विमर्श, भारतीय विद्या प्रकाशन, नई दिल्ली, 1976,
3. दास, डॉ. राम प्रकाशः मीमांसा प्रमेय, सुकृति प्रकाशन (मर्यादित), नई दिल्ली
4. नेने, सोमनाथः मीमांसा–दर्शन–विमर्श, प्रतिमा प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2008
5. शास्त्री, मण्डन मिश्रः मीमांसा दर्शन (महर्षि जैमिनी प्रवर्तित विचार शास्त्र का समालोचनात्मक अध्ययन), प्रकाशक– रमेश बुक डिपो, जयपुर।
6. Jha, Ganga Nath. Purva Mimamsa and Dharmashastra, Research Institute, 47, 1968.
7. Katju, Markandey. Mimamsa Rules of Interpretation, Year of Pub, 2003.
8. Moghe SG. Studies in Applied Purva Mimamsa, Ajanta Publications, New Delhi, 1998.
9. Natraja Ayyar AS. Mimamsa Jurisprudence (The Source of Hindu Law), Ganganath Jha Research Institute, Allahabad, 1952.
10. Sarkar KL. Mimamsa Rules of Interpretation (Collection of Tagore Law Lectures), 1905.
11. Shastri, Pashupatinath. Introduction to the Purva Mimamsa, Published by: Ashok Nath Bhattacharya, 41, Bag Bazar Street, Calcutta, 1923.
12. Shastri, Pashupatinath. Introduction to the Purva Mimamsa, Publisher & Place - Chowkhamba Oriental, Varanasi, 1980.